कृषि में सुधार की आवश्यकता

-लेखक - रमेश चंद (सदस्य, नीति आयोग)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि) से संबंधित है।

द हिन्दू

29 दिसम्बर, 2020

यदि कृषि अधिनियमों को सही भावना से लागू किया जाता है, तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे।

नए किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) और मूल्य आश्वासन पर किसान (संरक्षण एवं सशक्तिकरण) समझौता और कृषि सेवा अधिनियम से संबंधित प्रमुख आपत्तियां और भय यह है कि इसके जरिये कृषि उपज बाजार समितियों (APMC) को बंद कर दिया जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर रोक लगा दी जाएगी, कॉरपोरेट्स घराने कृषि व्यापार पर कब्जा कर लेंगे और किसानों की जमीन शक्तिशाली कॉरपोरेट्स के पास चली जाएगी।

बहस के पक्ष

कुछ विशेषज्ञों और किसान नेताओं को लगता है कि ये आशंकाएँ और चिंताएं काल्पनिक, अवास्तविक और कृषि में सुधार को रोकने तथा कृषि को आधुनिक बनाने से रोकने एवं भारत को कृषि में एक वैश्विक शक्ति बनने से रोकने के लिए जानबूझकर अपनाया गया हथकंडा है। इन अधिनियमों का विरोध करने वालों ने मुख्य रूप से खतरों और प्रतिकूल प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया है और नए अधिनियमों के संभावित लाभों के बारे में बात करने से परहेज किया है। कौशिक बसु जैसे प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के एक और समूह ने कृषि में पुरातन कानूनों को बदलने के लिए अपना समर्थन दोहराया है लेकिन नए अधिनियमों का विरोध किया है।

सुधारों के लिए आधार

कृषि में सुधार की आवश्यकता के कुछ प्रमुख कारण हैं। एक किसान की कृषि-आय और गैर-कृषि कर्मचारी के बीच का अंतर 1993-94 में, 25,398 से बढ़कर 2011-12 में 1.42 लाख हो गयी है। कृषि संकट की व्यापक भावना भी कई विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की जा रही है। घरेलू कीमतों को बहुत कम होने से रोकने के लिए सकल खाद्य मांग में घरेलू उत्पादन की कमी की वजह से बड़ी मात्रा में निर्यात की कमी हुई है। हमारे पास पहले से ही 60 लाख टन चीनी और लगभग 72 मिलियन टन अतिरिक्त बफर गेहूं और चावल का अतिरिक्त स्टॉक मौजूद है, जो राजकोषीय संसाधनों पर भारी दबाव बना रहा है।

भारत के कृषि-निर्यात को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है, आयात करने वाले भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि घरेलू कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में बहुत अधिक हैं। किसानों के बच्चों सहित ग्रामीण युवाओं को भी कृषि के बाहर रोजगार की तलाश है और ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की गंभीर समस्या बनी हुई है। उत्पादकों और उपभोक्ताओं की हानि के लिए बाजार में विफलता के कई उदाहरण देखे जा सकते हैं।

भारतीय कृषि उत्पादन और बाजार विकास के अगले चरण तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। कृषि में विकास दर विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और आउटपुट मूल्य समर्थन के माध्यम से भारी समर्थन से प्रेरित है। केंद्र सरकार की शुद्ध राजस्व प्राप्ति सकल घरेलू उत्पाद के 9% से कम है। यदि किसानों को एमएसपी पर खरीद के माध्यम से उनकी उपज पर पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित किया जाता है, जैसा कि प्रदर्शनकारी किसानों ने भी मांग की है, तो ये लागत तथा नुकसान और सब्सिडी केंद्र सरकार के अधिकांश कर राजस्व को छीन लेंगे। ऐसे तथ्यों को किसान नेताओं के साथ साझा करने की आवश्यकता है। मुझे (लेखक) नहीं लगता कि वे कुछ ऐसी मांग रखना पसंद करेंगे, जिससे सरकार की राजकोषीय व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाए।

किसानों का पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए उनकी उपज की बिक्री, आधुनिक मूल्य शृंखलाओं के विकास, मूल्य संवर्धन, निर्यात और प्रसंस्करण के माध्यम से ग्रामीण आर्थिक पुनरोद्धार के एक हिस्से के रूप में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।

यह भी समझने की जरूरत है कि APMC का MSP के भुगतान से कोई लेना-देना नहीं है। धान, गेहूं और कपास के अलावा अन्य फसलें पंजाब के एपीएमसी मंडियों में एमएसपी से नीचे कीमतों पर बिक रही हैं। MSP के लिए आवश्यक और पर्याप्त शर्तें सरकार द्वारा, APMC के साथ या उसके बिना खरीदी जाती हैं।

पूर्व के अनुभवों से पता चलता है कि फल और सब्जियों को एपीएमसी से हटाए जाने के बाद भी, वे बड़ी मात्रा में एपीएमसी मंडियों में पहुंचते रहे। एपीएमसी को खतरा राज्यों द्वारा अतिरिक्त राजस्व उत्पादन के लिए इन मंडियों के उपयोग करने से अधिक रहता है।

कुछ मापदंड

एक और विरोध न्यू ट्रेडिंग अधिनियम का हो रहा है जिसमें इस अधिनियम के एक प्रावधान में व्यापारियों के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता बल दिया गया है। किसानों का विरोध इसके कड़े मापदंड और व्यापार क्षेत्र में व्यापारियों के लिए पंजीकरण को लागू करने से है। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, पैन कार्ड होने के बाद, यहां तक कि एक किसान भी व्यापार के लिए जा सकता है, उसका बेटा कृषि-व्यवसाय कर सकता है और अन्य ग्रामीण युवा किसी उपभोक्ता या अन्य कृषि व्यवसाय फर्मों को सीधे बिक्री और कृषि वस्तुओं की खरीद के कार्य को कर सकते हैं। यदि व्यापारियों के पंजीकरण में कड़े मानदंड जैसे बैंक गारंटी आदि को शामिल किया जाता है, तो कृषि व्यापार व्यापारी वर्ग के हाथों में रहेगा और किसानों और ग्रामीण युवाओं को कृषि व्यवसाय उद्यमी बनाने का लक्ष्य खत्म हो जाएगा।

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर

नया अधिनियम इच्छुक किसानों (विशेष रूप से छोटे किसानों) को बाजार और मूल्य जोखिमों से रक्षा करता है ताकि वे बाजार की चिंता किए बिना उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती कर सकें। यह किसान के जमीन के हस्तांतरण, बिक्री, पट्टे को शामिल करने के लिए कृषि समझौते पर प्रतिबंध लगाता है। इच्छुक उपभोक्ताओं को वांछित विशेषताओं के साथ अधिनियम विविधीकरण, प्रीमियम मूल्य के लिए गुणवत्ता उत्पादन, निर्यात और उत्पादन की प्रत्यक्ष बिक्री को बढ़ावा देगा। यह कृषि में नई पूंजी और ज्ञान भी लाएगा और मूल्य शृंखला में किसानों की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करेगा।

इन अधिनियमों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किए गए नीतिगत सुधार किसानों और कृषि के बदलते समय और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं। यदि उन्हें सही भावना में लागू किया जाता है, तो वे भारतीय कृषि को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे।

Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 के तहत कृषि उपज बाजार समिति (APMC) बाजारों की उपेक्षा करते हुए निजी स्थल पर व्यापार कर सकती है।
2. मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता (अधिकार प्रदान करना और सुरक्षा) और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 के तहत भारत में अनुबंध कृषि (Contract Farming) के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किये जाने का प्रावधान है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 2 **(b)** केवल 1

(c) 1 और 2 दोनों **(d)** न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements:-

1. Under the Essential Commodities (Amendment) Act, 2020, the Agricultural Produce Market Committee (APMC) can trade in private places, ignoring the markets.
2. There is a provision for creating a legal framework for contract farming in India under the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020 on price assurance.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 2 **(b)** Only 1

(c) Both 1 and 2 **(d)** Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. वर्तमान में नए कृषि कानून से संबंधित किसानों की चिंताओं पर प्रकाश डालते हुए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सुधार हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए हालिया उपायों पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. While discussing the recent measures adopted by the government to improve contract farming, highlight the farmer's concerns related to the new agricultural law.

(250 Words)

Committed To Excellence

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।